



मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सम्भल/थाना बहजोई

- अपहरण की घटना का अनावरण करते हुए 06 घण्टे के अन्दर अपहृत बालक सकुशल बरामद
 - 03 अपहरणकर्ता गिरफ्तार
 - 01 अवैध तमंचा , 04 जीवित , 01 खोखा कारतूस ,02 मोटरसाइकिल, 04 मोबाइल फोन आदि बरामद

थाना बहजोई एवं काइम ब्रान्च की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 11.11.2020 को थाना बहजोई क्षेत्र से 07 वर्षीय बालक के अपहरण की हुयी घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 12.11.2020 को 06 घण्टे के अन्दर पुलिस कार्यवाही के दौरान जंगल ग्राम मनौना से अपहृत बालक की सकुशल बरामदगी एवं 03 अपहरणकर्ता 1—विनोद, 2—गुड़दू 3—विकास को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा , 04 जीवित , 01 खोखा कारतूस, 02 मोटरसाइकिल, 04 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये ।

उल्लेखनीय है कि थाना बहजोई क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों द्वारा बालक के अपहरण की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना बहजोई पर मु0अ0सं0—347 / 2020 धारा 364ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे ।

इस संबंध में थाना बहजोई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—विनोद निवासी ग्राम बस्तोई थाना जरीफनगर जनपद बदांयू ।
- 2—गुड़दू निवासी ग्राम बस्तोई थाना जरीफनगर जनपद बदांयू ।
- 3—विकास निवासी मण्डनपुर थाना बहजोई जनपद सम्भल ।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा , 04 जीवित , 01 खोखा कारतूस ।

2—02 मोटरसाइकिल , 04 मोबाइल फोन आदि ।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना निगोही

- 25—25 हजार रु0 के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- अवैध तमंचा मय कारतूस आदि बरामद

दिनांक 11.11.2020 को थाना निगोही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम इनातयपुर के पास रेलवे कासिंग से 02 पुरस्कार घोषित अपराधी 1—कल्लू 2—मुन्ना को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय कारतूस आदि बरामद हुआ ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना निगोही पर पंजीकृत मु0अ0सं0 194 / 2020 धारा 2 / 3 गैरेस्टर एकट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था ।

इस संबंध में थाना निगोही पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— कल्लू निवासी मोहल्ला ककरहा कस्बा व थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर ।

2— मुन्ना निवासी मोहल्ला ककरहा कस्बा व थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर ।

बरामदगी

1— 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि ।

एसटीएफः अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 557 किलोग्राम (अनुमानित मूल्य लगभग 65 लाख रुपये) बरामद।

दिनांक: 12-11-2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 557 किग्रा (अनुमानित मूल्य लगभग 65 लाख रुपये) मादक पदार्थ (गॉजा) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

- 1— रवी प्रकाश पाण्डेय पुत्र उमेश कुमार पाण्डेय नि0 धनावल, पोस्ट पनौली, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।
- 2— दशरथ वर्मा पुत्र जीया लाल वर्मा नि0 सराय जगत सिंह, बिजवा, पोस्ट देवापुर, थाना लालगंज अजाहरा, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण—

- 1— बरामद अवैध गांजा वजनी करीब 557 किग्रा (कीमती करीब 65 लाख रुपये)
- 2— 02 अदद मोबाइल फोन,
- 3— एक अदद मोटर साइकिल टी0वी0एस0 नं0 यू0पी0-62-बीपी-8714
- 4— पानी का टैंकर एक अदद
- 5— 02 आधार कार्ड।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान—

दिनांक—12.11.2020 समय—09:30 बजे प्रातः ग्राम चन्दीपुर, थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदे”I को भारत के विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी, जिनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में दीपक सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री हेमन्त भूषण सिंह के नेतृत्व में एस0टी0एफ मुख्यालय द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदार्थ की खेप लेकर कुछ तस्कर जनपद फतेहपुर में आने वाले हैं। मुखबिर की इस सूचना से एन0सी0बी0 के अधिकारियों को अवगत कराते हुए निरीक्षक श्री हेमन्त भूषण सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री विनय कुमार सिंह, मु0आ0 विनोद यादव, मु0आ0 अरविन्द कुमार, आ0 कृष्णकान्त, आ0 राम सिंह व आ0 आलोक की एक टीम गठित कर कार्यवाही करने के उद्देश्य से जनपद फतेहपुर के ग्राम चन्दीपुर थाना हुसैनगंज क्षेत्रन्तर्गत पहुँचकर स्थानीय पुलिस को साथ लेकर द्वारा बताये स्थान से समय प्रातः 09:30 बजे उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ बताया कि वे बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ गांजा की तस्करी का कार्य करते हैं। यह माल कुलदीप तिवारी उर्फ लवली का है, जो ग्राम चन्दीपुर, थाना हुसैनगंज, जनपद फतेहपुर का निवासी है। कुलदीप तिवारी द्वारा यह माल उड़ीसा से मंगवाकर जनपद फतेहपुर व आस पास के अन्य जनपदों में व दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान आदि में सप्लाई का कार्य करता है। हम लोग कुलदीप तिवारी के लिए सप्लाई का कार्य करते हैं। इन्हें प्रति चक्कर 50,000/- से एक लाख मिलता था, जिसकी लालच में वह यह कार्य करते थे। आज भी गांजे की एक बड़ी खेप लेकर उड़ीसा से फतेहपुर आये थे। फतेहपुर में इस अवैध माल को छोटे-छोटे बण्डलों में बनाकर दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान में इसकी खपत अच्छी है और अधिक मूल्य प्राप्त हो जाता है, वहाँ भेजने की योजना बना रहे थे कि पुलिस टीम द्वारा पकड़े गए।

इस गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी की जा रही है एवं कुलदीप तिवारी उर्फ लवली की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध एन०सी०बी० द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

जनपद मेरठ / थाना मेडिकल

- पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस आदि
बरामद

दिनांक 12.11.2020 को थाना मेडिकल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जागृत विहार के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सदाकत घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट व आर्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सदाकत निवासी ग्राम कायरथ बड़ढा थाना किठौर मेरठ।

जनपद गाजियाबाद / थाना सिहानीगेट

- लूट की घटना का अनावरण, 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

- लूट के 01 लाख 02 हजार रु0 नगद

- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद

दिनांक 12.11.2020 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोयनका कट के पास से तीन अभियुक्तों 1—मोहित 2—रवि 3—दीपांशु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 01 लाख 02 हजार रु0 नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि धूकना मोड के पास सेल्समैन से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना सिहानीगेट पर मु0अ0सं0 1749/2020 धारा 392/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त मोहित शातिर किरम का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद गाजियाबाद, अमरोहा के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, गेंगेस्टर एकट व आर्म्स एकट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से संबंधित हैं।

इस संबंध में थाना सिहानीगेट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहित नि0 ग्राम पोरारा थाना रेहरा आदमपुर जनपद अमरोहा।

2—रवि नि0 ग्राम पोरारा थाना रेहरा आदमपुर जनपद अमरोहा।

3—दीपांशु नि0 सिरसा कला थाना रेहरा आदमपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1— लूट के 01 लाख 02 हजार रु0 नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 मोटरसाइकिल आदि।

जनपद सम्बल / थाना गुन्नौर

• शातिर वाहन चोर गिरफ्तार

- चोरी के 05 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 12.11.2020 को थाना गुन्नौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ईशमपुर मोड़ नरौरा रोड़ से 01 अभियुक्त मोहन उर्फ आशू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, व 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जिसके विरुद्ध जनपद अमरोहा, सम्बल के विभिन्न थानों में लगभग 09 अभियोग पंजीकृत हैं। पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद, नोयडा आदि जनपदों से दो पहिया वाहनों की चोरी करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना गुन्नौर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोहन उर्फ आशू निवासी खेरिया रुद्र थाना गुन्नौर जनपद सम्बल, हालपता—ग्राम इमरतपुर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1—चोरी की 05 मोटर साइकिल।

2— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।
